भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1677

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

कोविड के बाद श्रमबल में महिला श्रमिकों की स्थिति

1677. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड के बाद ग्रामीण और शहरी रोजगार बाजारों में अपनी नौकरी खोने वाली महिलाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन कारणों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण महिलाएं अपनी नौकरी पर वापस नहीं लौटना चाहती हैं;

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं को उक्त श्रमबल में वापस लाने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिये सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2019-20 में 28.7% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 40.3% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में, यह 32.3% से बढ़कर 46.5% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान यह 21.3% से बढ़कर 26% हो गया। कोविड से पहले और बाद की अवधि के आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं के लिए रोजगार का संकेत देने वाली डब्ल्यूपीआर, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ी है।

पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार, विभिन्न कारकों के कारण महिलाएं श्रम बल से दूर रहती हैं, जिनमें बच्चों की देखभाल और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं, सामाजिक बाधाएं, पढ़ाई जारी रखने की इच्छा, स्वास्थ्य/उम्र से संबंधित कारण और वित्तीय स्थिरता आदि शामिल हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसरों और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में ओपन कास्ट कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

सरकार, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका" जारी की। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट (2024-25) में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

केंद्रीय बजट 2025-26 में 5 लाख महिलाओं/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रथम उद्यमियों के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की गई है जिससे उन्हें अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण प्रदान किए जाएंगे।

*****